न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–261/2017/75 एल. आर.एक्ट (2017/00261)

1. रमजानी पिंजारा पुत्र पीर मोहम्मद मंसूरी, निवासी आनन्दपुरा, पैट्रोल पम्प के पास, जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर
2. श्रीमान प्रधानाध्यापक रा0प्रा0विद्यालय, आनन्दपुरा जूनिया
3. श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी
4. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.12.2001 राजस्व वाद 2001/1014

उपस्थितः–

1. श्री भवानी सिंह रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2,3 अनुपरिथत.

निर्णय

दिनांकः–11.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 12.12.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 1 नया व 1 पुराना खसरा नम्बर 3872 रकबा 7–6968 किस्म बारानी कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टर है जिसके पुराने खसरा नम्बर 496, 497, 495 है तथा संवत 2041 की जमाबंदी में गै0मु0 आबादी व गै0बु0 बाडा दर्ज है एवं उक्त गै0मु0 आबादी में प्रार्थी सहपरिवार निवास करता चला आ रहा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का कोई हक हिस्सा अधिकार व कब्जा नहीं है। वर्णित आराजीयात संवत् 2041 वर्किंग जमाबंदी तक गैर मुमकिन आबादी व गै0मु उसर बाड़ा है जबकि वाद वर्णित आराजीयात रास्व अधिकारियों की भूल एवं सहवन से तथा बिना किसी आधार के वर्तमान सरकारी भूमि दर्ज हो गई जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के तन्हा उपयोग उपभोग वाली आवासीय जायदाद जो कि गै0मु0 आबादी में स्थित है तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में भी आबादी भूमि का अंकन है, पर ना तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का हक अधिकार व कब्जा है और ना ही किसी प्रकार का आधिपत्य है बल्कि प्रार्थी ही उक्त आबादी भूमि वाले स्थल पर तन्हा उपयोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपभोग करता चला आ रहा है। वर्णित आराजी में से 0.80 हैक्टर भूमि दिनांक 12.12.2001 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनन्दपुरा के नाम दर्ज हुई लेकिन उक्त 0.80 हैक्टर भूमि का वर्तमान नक्शे में ना तो तरमीम किया गया ना ही पूर्व में तरमीम है क्योंकि उक्त 0.80 हैक्टर भूमि के संबंध में आवंटन पत्रावली ना ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पास है और ना ही किसी अन्य कार्यालय में है इस संबंध में प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थीगण के कार्यालय में नकल हेतु भरपूर प्रयास किया लेकिन ना तो किसी प्रकार की प्रार्थी को नकल दी गई और ना ही प्रार्थी को संतुष्ट किया गया जिस संबंध में प्रार्थी ने जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत नकल चाही तब जिला कलक्टर अजमेर ने उक्त सूचना देने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने भी निर्धारित समय अवधि बीतने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात प्रार्थी ने जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहत न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 4/17 बउनवान रमजानी पिंजारा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार केकड़ी विचाराधीन है। आवंटन किए जाने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना ही नियम विरूद्ध आंवटन किया गया है जो किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक स्थिति के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात रिक्त न होकर अपीलांट के कब्जे में है जबकि उपखण्ड अधिकारी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही एकतरफा में उक्त विवादित आराजीयात को उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपने आदेश दिनांक 12.12.2001 को राजीव गांधी स्कूल आनन्दपुरा के पक्ष में आवंटित कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 12.12.2001 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवदेन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर विधिक तौर पर काबिज है। विवादित आवंटन की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। जब प्रार्थी को उक्त विवादित आराजीयात से बेदखल किया जाने की कार्यवाही की गई तब उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को हुई, उक्त बेदखली के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में चाराजोही की गई तब स्थानीय अभिभाषक ने प्रार्थी को जानकारी दी कि उक्त विवादित आवंटन को निरस्त करवाए जाने बावत प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए तब प्रार्थी द्वारा विवादित आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया जिसकी प्रति आज दिवस तक प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजात एकत्रित करते हुए अपने अभिभाषक से अजमेर सम्पर्क करने पर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष बिना किसी विलंब के प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि यह जो आवंटन किया गया वह आंवटन नियम 1963 के अंतर्गत किया गया था जिसके आधार पर अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि पर निर्धारित समयावधि में कब्जा लेते हुए उपयोग में ली जानी चाहिए थी जबकि आवंटन से पूर्व एवं आज दिवस तक उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का ही कब्जा है जिसके संबंध में अपीलांट की ओर से सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोही की हुई है जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की कब्जे की आराजीयात से बेदखल किए जाने हेतु पाबंद कर रखा है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा अवंटन से आज दिवस तक उक्त आराजीयात पर कब्जा प्राप्त नहीं किया है। सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में उक्त आराजी बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गई एव मौका कमिशनर नियुक्त किया गया जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात अपीलांट के कब्जे में है एवं उक्त आराजीयात पर अपीलांट के मकानात एवं बाड़े इत्यादि निर्मित है तथा अपीलांट की ओर से उक्त आराजीयात पर पक्के छायादार वृक्ष भी लगाए हुए है, जिससे स्पष्ट था कि आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त न होकर अपीलांट के कब्जे में थी एवं आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। आराजी खाता संख्या 1 नया व पुराना 1 खसरा नम्बर 3872 रकबा 7– 6968 किस्म बारानी कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टर है जिसके पुराने खसरा नम्बर 496, 497, 495 है तथा संवत् 2041 की जमाबंदी में गै0मु0 आबादी व गै0मु0 बाड़ा दर्ज है एवं उक्त गै0मु0 आबादी में प्रार्थी सहपरिवार निवास करता चला आ रहा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्थ का कोई हक हिस्सा अधिकार व कब्जा नहीं है। वर्णित आराजीयात संवत 2041 वर्किंग जमाबंदी तक गैर मुमकिन आबादी व गै0मु0 उसर बाड़ा है जबकि वाद वर्णित आराजीयात रास्व अधिकारियों की भूल एवं सहवन से तथा बिना किसी आधार के वर्ममान सरकारी भूमि दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि आबादी की भूमि थी, जो आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। रेस्पोडेंट 2 लगायत 4 का हक अधिकार व कब्जा नहीं है व किसी प्रकार का कोई आधिपत्य है बल्कि प्रार्थी ही उक्त आबादी भूमि वाले स्थल पर तन्हा उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्णित आराजी में से 0.80 हैक्टर भूमि दिनांक 12.12. 2001 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनन्दपुरा के नाम दर्ज हुई लेकिन उक्त 0.80 हैक्टर भूमि का वर्तमान नक्शे में ना तो तरमीम किया गया ना ही पूर्व में तरमीम है क्योंकि उक्त 0.80 हैक्टर भूमि के संबध में आवंटन पत्रावली ना तो रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के पास है और ना ही किसी अन्य कार्यालय में है, जिससे यह स्पष्ट है कि किया गया आवंटन केवल कार्यालय में बैठकर बिना किसी स्थिति को जाने पारित किया गया है। विवादित आराजी वर्तमान जमाबंदी में आबादी दर्ज नहीं होकर सिवायचक दर्ज कर दी गई है। जिसे वर्तमान राजस्व नक्शानुसार गै0मु0 आबादी व गै0मु0 उसर बाड़ा दर्ज किया जाना आवश्यक था। उक्त विवादित आराजीयात आंवटन योग्य नहीं थी क्यों कि उक्त विवादित आराजीयात रिक्त नहीं थी इस पर अपीलांट मकानात बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रहा था एवं आज दिनांक तक उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही एकतरफा में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने आदेश दिनांक 12.12.2001 को राजीव गांधी स्कूल आनन्दपुरा के पक्ष में आवंटित कर दी है जबकि उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट मकानात बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा था एवं आज दिनांक तक उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है। माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत ओ0डी0 ऑल्ड्रम पाट्रम को बिना ध्यान में रखे निर्णय पारित कर दिया, जैसा कि 1984 आर0आर0डी पेज 111 में उक्त सिद्धांत की व्याख्या की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2001 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई है इसलिए अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किया जाए।

7. तत्पश्चात् राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी द्वारा अतिक्रमण करके जो बाड़ा कुछ पक्का निर्माण किया गया था जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मु0न0 918/2008 अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 24.10.2008 को अतिक्रमी मानते हुए फैसला किया है तथा अतिक्रमण हटाने बावत स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 व पुलिस जाप्ता के मौके पर अतिक्रमी के बाडे व पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस प्रकार वादी को बेदखल किया जा चुका हैं। वादी ने अपना बाड़ा व मकान ख0न0 3872 में स्थित होना बताया है। जबकि मौके पर अतिक्रमण ख0न0 6544/3872 रकबा 0.80 है0 जो राजीव गांधी स्कूल मजरा आनंदपुरा के नाम राजस्व रेकार्ड में जिसने शाला भवन बना हुआ है तथा खेल मैदान है उक्त भूमि में अतिक्रमण किया है जिसे बेदखल किया जा चुका है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 12.12.2001 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.10.2017 को मियाद बाहर अपील पेश की है । अपीलांट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया है जिसमें कथन किया है कि जब प्रार्थी को उक्त विवादित आराजीयात से बेदखल किया जाने की कार्यवाही की गई तब उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को हुई, उक्त बेदखली के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में चाराजोही की गई तब स्थानीय अभिभाषक ने प्रार्थी को जानकारी दी कि उक्त विवादित आवंटन को निरस्त करवाए जाने बाबत प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए तब प्रार्थी द्वारा विवादित आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया जिसकी प्रति आज दिवस तक प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की है। इस संबंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष नियुक्त अपने अधिवक्ता का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है जिससे उसके उक्त कथन की ताईद हो । अपने प्रकरण की जानकारी करना पक्षकार की स्वंय की भी जिम्मेदारी है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है जबकि अपीलांट को अपील में हुए विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के कारण स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक था। आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 801 में उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– " Limitation Act, 1963-Sec.5-condonation of delaey-Sufficient cause-delay of three days in filing appeal-No sufficient cause explained for delay-Held, Application & appeal dismissed."

10. उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अपीलांट को विलंब के संबंध में विलंब के समुचित एवं ठोस कारण अंकित करना आवश्यक था जिसमें वह असफल रहा है । अतः अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 खारिज किया जाता है ।

11. अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner